प्रेस नोट
दिनांक 30.08.2025

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधडी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 262/2024, धारा 419,420,467,468,471 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त हरिनरायन पुत्र राजमुनि उर्फ राज मनि निवासी ग्राम कोनिया बनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को ग्राम कोनिया बनकट से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

प्रार्थी बुधराम निवासी कोनिया बनकट, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी हरिनारायण ने पंचायत सेक्रेटरी चौतराम वर्मा के साथ मिलकर षड्यंत्रपूर्वक परिवार रजिस्टर में स्वयं को प्रागदत्त का पुत्र दर्ज करा दिया, जबकि विद्यालय अभिलेख व न्यायालयीन शपथपत्रों में वह राजमुनि का पुत्र दर्शाया गया है। यह कृत्य जालसाजी व धोखाधड़ी कर प्रागदत्त की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करने की नीयत से किया गया। वादी की तहरीर पर थाना धानेपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 30.08.2025 को थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त हरिनरायन पुत्र राजमुनि उर्फ राज मनि निवासी ग्राम कोनिया बनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को ग्राम कोनिया बनकट से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. हरिनरायन पुत्र राजमुनि उर्फ राज मनि निवासी ग्राम कोनिया बनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–262/2024, धारा 419,420,467,468,471 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. व0उ0नि0 गजेन्द्र पाण्डेय।
02. का0 मनोज सिंह यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।